राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक :– विपणन–3/बोर्ड बैठक अनुपालन/2019– 376 दिनांक :17.9.2019

1. समस्त उप निदेशक (प्रशा०/विप०)
मण्डी परिषद, उ०प्र०।

2.समस्त सचिव/सभापति,
कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ, उ०प्र०।

कृषक अपना उत्पाद लेकर मण्डी उप मण्डी स्थल के परिसरों में जब विक्रय हेतु आते हैं, तो लाये गये उत्पाद को वाहन से उतारकर मण्डी/उप मण्डी परिसरों में कार्यरत पल्लेदार एवं मजदूर उसे अपनी पीठ पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं अथवा व्यापारी एवं आढ़ती द्वारा उत्पाद क्रय करने पर भी उसे क्रय स्थल से उठाकर उनकी आढ़त/दुकान पर ले जाते हैं। इन कार्यो के सम्पादन में अत्यधिक मानव श्रम एवं अधिक समय भी लगता है। पल्लेदारों एवं मजदूरों द्वारा उत्पाद/माल उठाने में काफी श्रम करने के कारण पल्लेदारों एवं मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा दर्द एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता एवं जीविका प्रभावित होने के कारण उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होने के साथ ही मण्डी परिसरों में भी उत्पाद/माल की ढुलाई एवं व्यापारिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती है।

उपर्युक्त वर्णित स्थितियों में प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों के निर्मित मण्डी एवं उपमण्डी परिसरों में कार्यरत पल्लेदारों एवं मजदूरों के उपयोगार्थ निम्न विवरण के अनुसार व्हीलबैरो एवं हाथ ट्राली मण्डी समितियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव मण्डी परिषद के मा० संचालक मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 07.03.2019 को निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था,

क्रमांक	मण्डी की श्रेणी	हाथ ट्राली	व्हीलबैरो
1	"क" विशिष्ट एवं "क"	05	05
2	"ख"व"ग" एवं उपमण्डी स्थल	03	03

हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने बढ़ाने एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निदेशक, मण्डी परिषद अधिकृत होंगे। उक्त प्रस्ताव मा० संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में यू०पी०एग्रो द्वारा निर्मित हाथ ट्राली (गनी बैग ट्राली) का मण्डी समिति, लखनऊ में ट्रायल कराया गया, सचिव, मण्डी समिति, लखनऊ की आख्या के अनुसार व्यापारियों द्वारा उक्त ट्राली को उपयुक्त बताया गया। महाप्रबन्धक(उत्पादन) यू०पी०एग्रो द्वारा हाथ ट्राली (गनी बैग ट्राली) का मूल्य रू0 6550.00+18 प्रतिशत जी०एस०टी० की दर से आपूर्ति किये जाने की सहमति अपने पत्र दिनांक 11.09.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा दी गयी है। इसके अतिरिक्त मण्डलीय अभियन्ता(वर्कशाप), यू०पी०एग्रो के पत्र दिनांक 12.09.2019(प्रति संलग्न) द्वारा व्हीलबैरो (हत्थू ठेला) का मूल्य रू0 5693.00+18 प्रतिशत जी०एस०टी० एफ०ओ०आर० की दर से आपूर्ति किये जाने की सहमति दी गयी है तथा गनीबैग ट्राली न्यूनतम 50 नग एवं व्हीलबैरो न्यूनतम 40 नग प्रति जनपद की आपूर्ति आदेश देने पर इनका मूल्य निर्धारित किया गया है।

मा० संचालक मण्डल के निर्णय के अनुपालन में प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों के निर्मित मण्डी एवं उप मण्डी स्थलों में हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

1. मण्डी समिति द्वारा हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो (हत्थू ठेला) का क्रय/आपूर्ति आवश्यकतानुरूप निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही यू०पी० एग्रो से सम्भाग मुख्यालय की मण्डी समिति के माध्यम से नियमानुसार की

Scanned by CamScanner

जाएगी। यू0पी0एग्रो द्वारा आपूर्ति के पश्चात सम्भाग मुख्यालय की मण्डी समिति द्वारा हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो (हत्थू ठेला) सम्भाग की मण्डी समितियों को वितरित की जाएगी।

2. हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो (हत्थू ठेला) का भुगतान सम्बन्धित उप निदेशक(प्रशा0/विप0) से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाएगा।

3. हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो (हत्थू ठेला) का क्रय उन्हीं मण्डी समितियों द्वारा किया जाएगा, जहां पल्लेदार एवं मजदूर मण्डी स्थलों में कार्यरत हों।

4. हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो का आवंटन करने हेतु मण्डी समिति द्वारा एक रजिस्टर पृथक-पृथक बनाया जाएगा, जिसे सम्बन्धित सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

5. रजिस्टर में हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो निर्गत करने हेतु सम्बन्धित पल्लेदार एवं मजदूर का नाम,पता,हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान एवं मान्यता प्राप्त उपलब्ध आई0डी0 दर्ज की जाएगी। तदोपरान्त हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो (हत्थू ठेला) आवंटित किया जाएगा।

6. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित पल्लेदार/मजदूर द्वारा तत्काल निर्गत हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो मण्डी समिति कार्यालय में वापस की जाएगी, जिसका अंकन मण्डी कर्मी द्वारा रजिस्टर में किया जाएगा। वापसी पश्चात अन्य पल्लेदारों/मजदूरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।

7. हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो की निर्धारित संख्या से अधिक अतिरिक्त आवश्यकता होने पर इसका आंकलन कर निदेशक, मण्डी परिषद से स्वीकृति हेतु सम्बन्धित उप निदेशक(प्रशा0/विप0) की संस्तुति सहित मण्डी समिति प्रस्ताव परिषदमुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त आवश्यकता का भली-भांति परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त ही प्रस्ताव भेजा जाए।

8. हाथ ट्राली एवं व्हीलबैरो का प्रयोग केवल मण्डी परिसर में ही किया जाएगा।

अतएव् निदेशित किया जाता है कि प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों के निर्मित मण्डी एवं उपमण्डी परिसरो मे कार्यरत पल्लेदारो एवं मजदूरों के उपयोगार्थ व्हीलबैरो एवं हाथ ट्राली मण्डी समितियों द्वारा तत्काल उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आख्या सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति सम्भाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद को उपलब्ध करायेंगे एवं समस्त उप निदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, कृत कार्यवाही की सम्भाग स्तर पर समेकित अपनी अनुपालन आख्या एक माह के भीतर somkt-3 के मैसेज बाक्स पर उपलब्ध करायें, ताकि मा0 संचालक मण्डल के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

17.09.19

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महाप्रबन्धक, यू0पी0एग्रो, तालकटोरा रोड,लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
4. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

17/9

(कुमार विनीत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
राष्ट्रीय राजमार्ग-2, सिकन्दरा, आगरा

पृष्ठांकन सं0 : प्र0अ0/हाथ ट्राली/आगरा/2019- 1379 **दिनांक** 5-11- **2019**

प्रतिलिपि :- समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियों, आगरा सम्भाग आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकता का आकलन कर निर्धारित मानक के अनुरूप मॉग पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

कृते **उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन)**

Scanned by CamScanner